

**कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- **267** /FP/UK/ROAD/11763/2015 देहरादून: दिनांक: **29** जुलाई 2021

शेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद- अल्मोड़ा में पोखरी मेरगांव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.025 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/11763/2015)

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 09.08.2016 ।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 09.08.2016 के सम्बन्ध में मे प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक 129/13-पोखरी दिनांक 09.07.2021 द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

SL NO	OBJECTIONS	REPLY
1	Short Narrative of the project does not give adequate information about the proposal in online para-A (iii) of part-I.	परियोजना का संक्षिप्त विवरण Form A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
2	Total period for which area to be deliverted is not correctly filled in online part I.	उक्त बिन्दु से सम्बन्धित सूचना Form A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
3	Proceeding of village level committee (VLC) meeting is provided for two gram sabhas and the name of same villages are mentioned in the list of village are given. The State govt. may clarify the name of village wise break up and provide VLC proceedings for remaining gram sabhas in online part I.	ग्राम सभा की अनापत्ति Form A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
4	In the village wise break up 0.5 ha area is shown as muck disposal while the state govt. should shown the name of village in which area 0.5 occurred.	मलवा निस्तारण जिन स्थानों पर किया जाना है उन ग्रामों के नाम village wise breakup के Part I के B-2.3 में अंकित कर लिया गया है।
5	The State govt. has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated referenced digital map without showing Geo- coordinates which is not acceptable. the state govt. may provide/upload the correct map showing geo-coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online part I.	डिजिटल एवं जियो रिफरेंस मानचित्र Form A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
6	The state govt. may provide/upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA which should be 14.05 ha providing geo coordinates at all corner point in shape (polygon/closed area) file. the Google earth map will not accepted for the purpose.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग लिंक मोटर मार्ग है जिसके क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित अवनत भूमि प्राप्त है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण के समस्त प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से हस्ताक्षर है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रपत्र पार्ट I के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिया गया है साथ ही सी0ए0 क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।

7	The State govt. may review the density and eco class of the area in view of the number and type of species proposed to be felled in the area and correct the NPV calculation in hard copy as well as in online part II.	N.P.V Calculation Part I के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर लिया गया है।
8	In the muck disposal plan it is mentioned that total material to be disposed in dumping yard is 24792 cum while the capacity of dumping yard is only 5000 cum. the State govt. may clarify that where will be the remaining muck dumped ?	मलवा निस्तारण योजना Form A के Part-I में अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिया गया है।
9	In the cost benefit analysis uploaded in the part I in both performa VI b and VI C needs to be quantified in monetary terms. cost cover Benefit ratio may also be worked out.	लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र Form A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
10	Employment generation provided in online part I is seems to be incorrect. The State govt. may review the information and provide correct information if required.	रोजगार से सम्बन्धित सूचना Form A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
11	The area mentioned in FRA certificate is 6.525 including all annexure while the area proposed for diversion 7.025 ha. The revised FRA certificate is required mentioning the correct area with all annexure.	FRA certificate ऑनलाईन Form A के Part-I के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिया गया है।
12	The FRA certificate is undated.	FRA certificate ऑनलाईन Form A के Part-I के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिया गया है।
13	The CA Scheme is uploaded in part II is only for area of 13.05 ha while it should be prepared for twice the area proposed for diversion i.e 14.05 ha. The state govt. may provide revised CA scheme and upload the same in online part II.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित सूचना ऑनलाईन Form A के Part-II अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दी गयी है।
14	Working plan prescription is not provided in online part II.	उक्त बिन्दु से सम्बन्धित सूचना ऑनलाईन Form A के Part-I के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० कमिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 267 / FP/UK/ROAD/11763/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक 129/13 पोखरी दिनांक 09.07.2021 के कम में।

(डॉ० कमिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।